न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–329/2021

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भूपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन निवासी वार्ड न. 9 हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–राजेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल 2–घनश्याम पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा 3–भूपी पुत्री बनवारीलाल पत्नी सैनाराम जाति मेघवाल निवासी गोरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) 4–बुगीया पुत्री बनवारीलाल पत्नी प्रभूराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तह० व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 5–उर्मिला पुत्री बनवारीलाल 6–राजकूमार उर्फ रामकुमार 7–शंकरलाल 8–धर्मपाल 9–मदनलाल पुत्रगण मनफूलराम 10–मनफूलराम पुत्र मनोहरलाल 11–कृष्णचन्द्र 12–ओमप्रकाश 13–राजाराम 14–रामलाल पुत्रगण मनफूलराम जाति मेघवाल साकिनान रतनपुरा तहसील संगरिया 15–रजोदेवी पुत्री मनफूलराम पत्नी भंवरलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ 16–रामेश्वरी पुत्री मनफूलराम पत्नी भंवरलाल निवासी धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़ 17–सुन्दर पुत्री मनफूलराम पत्नी भादरराम निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ 18–रोशनी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी लालखॉ ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ 19–सरोज पत्नी राजेन्द्र पुत्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी लालखॉ ढाणी तहसील हनुमानगढ़ 20–गोमतीदेवी पत्नी महावीर प्रसाद 21–रानीदेवी पत्नी मदनलाल पुत्री मनोहरलाल 22–गायत्री पत्नी सुरजीत कुमार पुत्री मनोहरलाल जाति मेघवाल साकिनान चमारखेड़ा तहसील सादूलशहर श्रीगंगानगर (राजस्थान) 23–निर्मला पत्नी जगदीश कुमार पुत्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी दुतरावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का 24–मन्जू पत्नी राजेन्द्र पुत्री मनोहरलाल जाति मेघवाल निवासी दुतरावाली तहसील अबोहर 25–अमीलाल पुत्र साहबराम 26–सावित्री पुत्री साहबराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 27–शान्ति देवी पत्नी भादरराम (मृत) 27/1–पूर्णराम पुत्र शान्तिदेवी (मृत) (प्रति०स० 31 से 33) 27/2–कलावती पुत्री शान्तिदेवी पत्नी भादरराम 27/3–हनुमान पुत्र शान्तिदेवी पत्नी भादरराम 27/4–डूगंरराम पुत्र शान्तिदेवी पत्नी भादरराम समस्त जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 28–कलावती पत्नी श्रीचन्द पुत्री भादरराम जाति मेघवाल निवासी पीलाबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 29–रामी पत्नी पूर्णराम पुत्री भादरराम 30–विनोद पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 31–रचना पत्नी जगदीश पुत्री पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी मेहरका (पंजाब) 32–चन्द्रकला पत्नी [illegible] पुत्री पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी गौरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा 33–[illegible] पत्नी संदीप पुत्री पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी गौरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा 34–राजकीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:13 IST
Reason: SelfAttested

शैष पृष्ठ 2 पर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...न प्राथमिक विद्यालय चक 3 आरटीपी द्वितीय। 35–शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया। 36–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

......प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादी

2–नवरत्न स्वामी वकील प्रति. 27/2

3–प्रवीण गेरड वकील प्रति. 27/3, 27/4

4–गुरविन्दरसिंह राजपाल वकील प्रति. 35

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक :– 18.03.2014

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक नम्बर 3 आर.टी.पी.द्वितीय के खाता संख्या 89/56 में कुल 5.616 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि हमारी विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि हैं। उक्त भूमि की जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में घरू विभाजन काफी समय पूर्व हो चुका है। मुताबिक घरू विभाजन के अनुसार शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादी उक्त विरासतन कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी प्रकार वादी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी की कब्जा काश्त की भूमि का विवरण इस प्रकार से है कि (क) वादी भुपेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 09 हरिपुरा की कब्जाकाश्त की भूमि चक नम्बर 3 आर.टी.पी.द्वितीय के खाता संख्या 89/56 में प.न. 188/181 मु.न. 24 कि.न. 18,22,23/0.253 कुल 0.759 है0 भूमि पर हैं। वादी की उपरौक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में होने के कारण वादी का प्रतिवादीगण के साथ सींव बट, रकम राज, पानी की बारी व कृषि ऋण आदि को लेकर भारी परेशानी व असुबिधा हो रही है इसलिये वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से उसके हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की भूमि का खाता वाद पत्र की चरण संख्या 3 (क) के अनुसार खाता अलग कायम करवाकर अलग से रकम राज का निर्धारण करवाने के लिये निवेदन किया लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण वादी को बाद में करवाने का कहकर टाल मटोल करते रहे किन्तु आज से दो दिन पूर्व वादी की बात मानने से सपष्टतया इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बाद प्रतिवादीगण के हाजिर नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, तथा शेष प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे गये जिनकी पावती रसीद प्राप्त होने के बाद उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई व शेष

शेष पृष्ठ 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...वादीगण की तलबी जरिये समाचार पत्र से करवाई गई। तलबी मुकम्मल होने के बाद ...वादीगण 27/2 से 4 व 35 की ओर से श्री गुरविन्दसिंह राजपाल व श्री प्रवीणकुमार बेरड व श्रीनवरत्न एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर हाजिर आये। उभय पक्ष वकुलाय ने ...वेदन किया किया की प्रश्नगत भूमि विवादित खाते में दर्ज होने से पत्रावली में सभी ...श्तकारान का हिस्सा व कब्जाकाश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर निर्णित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत करवाई गई वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिसमें खाता विवादित कर दिया गया है तथा उभय पक्ष वकील का कोई विरोध नहीं होने से दावे का अंतिम निस्तारण विभाजन प्रस्ताव आने के बाद ही किया जाना न्यायोचित है अतः दावे को प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

...यादे वादी एवं प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि चक नम्बर 3 आर.टी.पी. द्वितीय के पुराना खाता संख्या 89/56 व नया खाता संख्या 92/56 में कुल 5.616 है0 भूमि में समस्त काश्तकारों का राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर हक व हिस्सा एवं अच्छी–खराब, खाला, रास्ता, की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार संगरिया को मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से तहरीर जारी होकर तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:13 IST
Reason: SelfAttested